उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की षष्ठम् बोर्ड बैठक
दिनाँक : 09 दिसम्बर, 2015 का कार्यवृत्त

दिनांक 09.12.2015 को श्री राजीव गाँधी बहुउद्देश्यीय भवन, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून स्थित राज्य प्राधिकरण के सभागार में मा0 आवास मंत्री/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक आयोजित की गयी।

उपस्थिति :

1– श्री प्रीतम सिंह पंवार, मा0 आवास मंत्री उत्तराखण्ड सरकार।
2– श्री आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्, सचिव आवास, उत्तराखण्ड शासन, मुख्य प्रशासक, उडा, उपाध्यक्ष मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून।
3– श्री वी0 षणमुगम, अपर सचिव आवास, उत्तराखण्ड शासन, अपर मुख्य प्रशासक, उडा।
4– श्री अरूणेन्द्र चौहान, अपर सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन।
5–श्री आर0के0 तोमर, संयुक्त सचिव, वन उत्तराखण्ड शासन।
6–श्री धीरेन्द्र दताल, संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास उत्तराखण्ड शासन।
7–श्री बंशीधर तिवारी, संयुक्त मुख्य प्रशासक, उडा।
8– श्री एस0के0 पंत, वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।
9– श्री एन0 एस0 रावत, अधीक्षण अभियन्ता उ0आ0न0वि0प्रा0।
10– श्री आर0 जी0 सिंह, नगर नियोजक, उ0आ0न0वि0प्रा0/एम0डी0डी0ए0।
11– श्री बी0एस0 नेगी, सहायक अभियन्ता, उ0आ0न0वि0प्रा0।

सर्वप्रथम मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्राधिकरण बोर्ड की षष्ठम् बैठक प्रारम्भ की गयी, जिसमें पंचम बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन पर विस्तार से विचार–विमर्श किया गया और निर्णय लिया गया कि अनुपालन के बिन्दु संख्या–04 के सन्दर्भ में ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों हेतु शेल्टर फण्ड की नीति का प्रस्ताव बनाने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को निर्देशित किया गया कि वह उत्तरप्रदेश में लागू ई0डब्ल्यू0एस0 शेल्टर फण्ड तथा संशोधित नीति का अध्ययन कर 15 दिनों की भीतर अन्तिम रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत करें। तद्नुसार बोर्ड द्वारा गत बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि के उपरान्त षष्ठम् बोर्ड बैठक के एजेण्डा पर विचार–विमर्श किया गया।

क्रमांक–01

विषय– सरकार की स्मार्ट सिटी गाइड लाइन के अन्तर्गत स्मार्ट सिटी विकसित करने हेतु ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हेतु भूमि का क्रय।

शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के स्मार्ट सिटी गाइडलाइन्स के अन्तर्गत प्रथम चरण में चुने गये 98 शहरों की सूची में देहरादून को सम्मिलित किये जाने हेतु डी0टी0सी0 इण्डिया लिमिटेड (देहरादून टी कम्पनी) एवं ईस्ट होप टाउन टी कम्पनी लिमिटेड की कुल 672.004 हैक्टेयर भूमि को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा क्रय किये जाने/क्रय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः1862/V–2–2015–120(आ0)2015 दिनांक 05 नवम्बर, 2015 द्वारा उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के माध्यम से क्रय किये जाने की स्वीकृति/सहमति प्रदान की गयी।

अतः स्मार्ट सिटी के प्रयोजनार्थ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हेतु सन्दर्भित कम्पनियों की भूमि का क्रय करने हेतु शासनादेश के क्रम में बोर्ड के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय–प्रस्ताव का बोर्ड द्वारा अवलोकन कर विस्तृत चर्चा के उपरान्त अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही–एम0डी0डी0ए0 / उ0आ0न0वि0प्रा0)

क्रमांक–02

विषय– स्मार्ट सिटी विकसित करने हेतु एस0पी0वी0 (Special Purpose Vehicle) गठन के सम्बन्ध में।

शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के स्मार्ट सिटी गाइड लाइन के अन्तर्गत प्रथम चरण में चुने गये 98 शहरों की सूची में देहरादून को सम्मिलित होने हेतु स्मार्ट सिटी के विकास हेतु तोंगजी यूनिवर्सिटी के साथ एम0 ओ0 यू0 करने/ आशय पत्र निर्गत किये जाने विषयक शासन के पत्र संख्याः 1861 / V–2–2015– 123(आ0)2015 दिनांक 05 नवम्बर, 2015 द्वारा भारत सरकार के स्मार्ट सिटी गाइडलाइन्स के अन्तर्गत देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण एवं मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण के एस0पी0वी0 गठित किया जाना है। एस0पी0वी0 गठित करने हेतु निदेशक निम्न प्रकार नामित किया गया–

1– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।

2–उपाध्यक्ष, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण।

3–सचिव, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण।

4–संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।

उपरोक्त एस0पी0वी0 के सम्बन्ध में तैनात सी0ए0 द्वारा आवश्यक औपचारिकता सम्पादित की जा रही है। इस एस0पी0वी0 का नाम ग्रेटर दून विकास प्राधिकरण प्रा0 लि0 के नाम से कम्पनी एक्ट में पंजीकृत किये जाने की कार्यवाही की गयी है।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव बोर्ड के संज्ञान हेतु प्रेषित है।

निर्णय– प्रस्ताव का बोर्ड द्वारा संज्ञान लिया गया। विस्तृत विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि गठित एस0पी0वी0 में यदि अन्य निदेशक को नामित किया जाना आवश्यक है तो तद्नुसार कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही–एम0डी0डी0ए0 / उ0आ0न0वि0प्रा0)

क्रमांक–03

विषय– स्मार्ट सिटी विकसित करने हेतु ग्रीन फील्ड योजना के अन्तर्गत भूमि का क्रय करने हेतु हडको से ऋण लिये जाने हेतु अधिकृत करने के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या 1862 / V–2–2015–120(आ0)2015 दिनांक 05 नवम्बर, 2015 के क्रम में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा स्मार्ट सिटी विकसित करने हेतु ग्रीन फील्ड विकास के लिए आवश्यक भूमि क्रय करने हेतु हडको से ऋण लिया जाना है।

अतः भूमि क्रय करने हेतु हडको से ऋण लेने हेतु उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को अधिकृत करने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय–बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विस्तृत विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि हडको की आवश्यकतानुसार मुख्य प्रशासक, उडा को भूमि क्रय करने एवं हडको से ऋण लेने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(कार्यवाही–एम0डी0डी0ए0 / उ0आ0न0वि0प्रा0)

क्रमांक–04

विषय– स्मार्ट सिटी विकसित करने हेतु भूमि क्रय करने हेतु गठित कमेटी द्वारा संस्तुत दरों का अनुमोदन के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या 1862 / V–2–2015–120(आ0)2015 दिनांक 05 नवम्बर, 2015 द्वारा स्मार्ट सिटी के प्रयोजनार्थ भूमि क्रय किये जाने हेतु भूमि की दरें निर्धारित करने हेतु मण्डलायुक्त गढ़वाल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा भूमिस्वामियों से दरों के सम्बन्ध में कई बैठक आयोजित की गयी और अन्तिम रूप से नेगोशिएसन के उपरान्त समिति द्वारा संस्तुत दरें, (संलग्नक–01) में प्रस्तुत है।

अतः शासन द्वारा गठित समिति द्वारा संस्तुत दरें बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– प्रस्ताव के सम्बन्ध में शासन द्वारा गठित कमेटी की संस्तुति का अवलोकन करते हुए अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही–एम0डी0डी0ए0 / उ0आ0न0वि0प्रा0)

क्रमांक–05

विषय– स्मार्ट सिटी हेतु भूमि क्रय करने हेतु संशोधित प्रस्ताव का अनुमोदन के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या 1862 / V–2–2015–120(आ0)2015 दिनांक 05 नवम्बर, 2015 द्वारा स्मार्ट सिटी गाइड लाइन के अन्तर्गत पहले चरण में चुनें गये 98 शहरों में देहरादून को सम्मिलित किये जाने हेतु डी0टी0सी0 इण्डिया लि0 एवं ईस्ट होप टाउन कम्पनी लि0 की कुल 672.004 है0 भूमि उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा क्रय किये जाने के निर्णय के क्रम में हडको को ऋण स्वीकृत कराने हेतु राज्य प्राधिकरण द्वारा ऋण प्रपत्र सहित आवेदन पत्रांक 372 / उडा–68 / 2015 दिनांक 04.11.2015 को प्रेषित किया गया, तदोपरान्त मुख्य प्रशासक, उडा द्वारा हडको के उच्च अधिकारियों से मुख्यालय नई दिल्ली में विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श उपरान्त हडको के सुझाव एवं भारत सरकार के स्मार्ट सिटी गाइड लाइन्स के अन्तर्गत संशोधित भूमि हेतु ऋण आवेदन पत्र प्रेषित किया गया। जिसमें प्रथम चरण में 350 एकड़ भूमि के प्रस्ताव पर ऋण धनांक 496.00 करोड़ को स्वीकृत करने हेतु प्राधिकरण के पत्र संख्या 407 / उडा–68 / 2015 दिनांक 03.12.2015 द्वारा प्रेषित किया गया।

अतः उपरोक्तानुसार स्मार्ट सिटी विकसित करने हेतु भूमि क्रय करने की कार्यवाही बोर्ड के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय–बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार–विर्मश करते हुए अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही–एम0डी0डी0ए0 / उ0आ0न0वि0प्रा0)

क्रमांक–06

विषय– राज्य प्राधिकरण के कॉमन सील का अनुमोदन के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को अवस्थापकीय योजना हेतु भूमि क्रय एवं विकास हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया जाता है, जिसके लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से अनुबन्ध गठित करने हेतु प्राधिकरण के कॉमन सील का उपयोग आवश्यक होता है। बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड आवास एवं विकास प्राधिकरण का

मोनोग्राम के प्रारूप का अनुमोदन किया जा चुका है। तद्नुसार मोनोग्राम के प्रारूप पर ही राज्य प्राधिकरण का कॉमन सील बनाया गया।

अतः कॉमन सील अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

निर्णय–मोनोग्राम पर निर्मित कॉमन सील का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही–उ0आ0न0वि0प्रा0)

क्रमांक–07

विषय– राज्य प्राधिकरण में विभिन्न संवर्गों के पदों का सृजन के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक में प्राधिकरण में विभिन्न पदों के सृजन का प्रस्ताव अनुमोदन किया गया, जिसमें राज्य प्राधिकरण के प्रस्ताव पर शासन स्तर पर हुए विचार–विमर्श के उपरान्त शासन द्वारा संशोधित पदों का सृजन की स्वीकृति अपने पत्र संख्याः 1945/V–2/53 (आ0)14/2015 दिनांक 26 नवम्बर,2015 द्वारा दी जा चुकी है। (संलग्नक–2)

स्वीकृत पदों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया में तैनात/नियुक्त करने के संबंध में राज्य प्राधिकरण द्वारा आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन से पत्र संख्या 396/उडा–02/2014 दिनांक 27.11.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में राज्य प्राधिकरण में मा0 अध्यक्ष, मुख्य प्रशासक, अपर मुख्य प्रशासक तथा दो संयुक्त मुख्य प्रशासक हैं, इन उच्च अधिकारियों के विभागीय कार्य सम्पादन हेतु वर्तमान में सृजित 39 पदों में एक भी पद वैयक्तिक सहायक का नहीं है, वर्तमान आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम चार वैयक्तिक सहायक के पदों का सृजन आवश्यक हो गया है। इस हेतु आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन को चार वैयक्तिक सहायकों के पदों का सृजन हेतु पत्र संख्या 404/उडा–2/2014 दिनांक 2.12.2015 द्वारा अनुरोध किया गया है।

अतः राज्य प्राधिकरण में सृजित पदों का विवरण बोर्ड के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय–शासन से स्वीकृति पदों तथा प्रस्ताव पर सहमति देते हुए अवलोकन किया गया।

(कार्यवाही–उ0आ0न0वि0प्रा0)

क्रमांक–08

विषय–गैरसैंण स्थित पशुपालन विभाग की 500 एकड़ भूमि इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करने के सम्बन्ध में।

गैरसैंण में उत्तराखण्ड राज्य का विधान सभा भवन एवं तत्सम्बन्धी भवनों का निर्माण किया जा रहा है, इस भूमि के पास भराडीसैंण स्थित विदेशी पशु प्रजनन परिक्षेत्र की 465.5 एकड़ भूमि उपलब्ध है। इस भूमि का गैरसैंण के विकास एवं अवस्थापकीय योजनाओं हेतु उपयोग किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में शासन के उच्च अधिकारियों द्वारा भी स्थल निरीक्षण कर इस भूमि को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को स्मार्ट सिटी बनाये जाने हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित करने तथा विदेशी पशु प्रजनन परिक्षेत्र भराडीसैंण के पास ही पहाड़ी पर स्थित भूमि को विदेशी पशु प्रजनन परिक्षेत्र को हस्तान्तरित करने निर्देश के अनुपालपन में जिलाधिकारी, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सैद्धान्तिक सहमति जारी करने हेतु अनुरोध किया गया। (संलग्नक–3)

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तावित भराडीसैंण स्थित विदेशी प्रजनन परिक्षेत्र की भूमि पर इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव बोर्ड के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय–विचारोपरान्त गैरसैंण में पशुपालन विभाग की भूमि पर इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करने हेतु प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही–उ0आ0न0वि0प्रा0)

क्रमांक–09

विषय–रूद्रपुर–हल्द्वानी विकास प्राधिकरण गठित किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड़ नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम (संशोधित) 2013 की धारा–7 (क) अन्तर्गत राज्य विकास प्राधिकरण (उत्तराखण्ड़ आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण) को राज्य के अन्तर्गत किन्हीं क्षेत्रों को विकास क्षेत्र घोषित/अधिसूचित किये जाने की आवश्यकता का आंकलन कर ऐसे क्षेत्रों के लिये विकास क्षेत्र घोषित करने हेतु सुझाव तथा स्थानीय विकास प्राधिकरण के गठन की संस्तुति राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। उत्तराखण्ड़ राज्य के जनपद नैनीताल तथा जनपद उधमसिंह नगर के तराई क्षेत्र अन्तर्गत नगरीय करण की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। इस समस्त क्षेत्र अन्तर्गत हल्द्वानी–काठगोदाम, रूद्रपुर, किच्छा, गदरपुर, काशीपुर नगरीय क्षेत्रों तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में सुनियोजित विकास के दृष्टिगत इस समस्त तराई क्षेत्र में सुनियोजित नगरीय विकास करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित करने तथा रूद्रपुर–हल्द्वानी विकास प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव है। रूद्रपुर–हल्द्वानी विकास क्षेत्र अन्तर्गत निम्न क्षेत्र सम्मिलित होगें।

1. हल्द्वानी–काठगोदाम नगर निगम सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र, तहसील हल्द्वानी–काठगोदाम के 134 राजस्व ग्राम, तहसील लालकुआँ के 46 राजस्व ग्राम एवं तहसील नैनीताल के अन्तर्गत 1 राजस्व ग्राम (कुल 181 राजस्व ग्राम) (सूची संलग्न)।
2. रामनगर पालिका परिषद की सीमा में आने वाले क्षेत्र तथा रामनगर तहसील के 41 राजस्व ग्राम (सूची संलग्न)।
3. रूद्रपुर नगर निगम सीमा अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र, रूद्रपुर तहसील के 25 राजस्व ग्राम (सूची संलग्न)।
4. किच्छा नगर परिषद के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र एवं किच्छा तहसील के 10 राजस्व ग्राम (सूची संलग्न)।
5. काशीपुर नगर निगम क्षेत्र तथा काशीपुर तहसील के 54 राजस्व ग्राम (सूची संलग्न)।
6. जसपुर नगर पालिका क्षेत्र, महुआडाबरा नगर पंचायत, हरिपुरा नगर पंचायत तथा जसपुर तहसील के 19 राजस्व ग्राम (सूची संलग्न)।
7. गदरपुर तहसील अन्तर्गत गदरपुर नगर पालिका तथा गदरपुर तहसील के 28 राजस्व ग्राम (सूची संलग्न)।
8. बाजपुर नगर पालिका क्षेत्र, कैलाखेडा नगर पंचायत क्षेत्र, सुल्तानपुर नगर पंचायत क्षेत्र तथा बाजपुर तहसील के 30 राजस्व ग्राम (सूची संलग्न)।

अतः उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को उत्तराखण्ड़ नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम (संशोधित) 2013 की धारा–3 अन्तर्गत विकास क्षेत्र घोषित किये जाने तथा धारा–4 अन्तर्गत स्थानीय विकास प्राधिकरण जिसका नाम रूद्रपुर–हल्द्वानी विकास प्राधिकरण होगा, को गठित करने कि राज्य सरकार की संस्तुति प्रेषित किये जाने के

उद्देश्य से उत्तराखण्ड़ आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय–प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। रूद्रपुर–हल्द्वानी विकास क्षेत्र घोषित किये जाने पर सैद्धान्तिक रूप से सहमति व्यक्त करते हुए निर्णय लिया गया कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग शासन से मार्गनिर्देशन प्राप्त करते हुए क्षेत्र सीमा निर्धारित कर, प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए।

अन्य बिन्दु–अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर चर्चा उपरान्त निम्न निर्णय लिया गया–

1–उत्तराखण्ड में स्मार्ट सिटी विकसित करने के सन्दर्भ में निर्णय लिया गया कि गैरसैंण, चिन्यालीसौंण, रूद्रपुर, गरूड़ाबाज तथा पिथौरागढ़ में भी नियोजित शहर/टाउनशिप विकसित करने की कार्यवाही की जाए।

2–वर्तमान में नवगठित राज्य प्राधिकरण में आय के संसाधन विकसित नहीं हैं, इसलिए वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने तथा उत्तराखण्ड में अवस्थापकीय सुविधायें विकसित करने हेतु सीट कैपिटल स्वीकृत करने का रू0 25 करोड़ का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाही–उ0आ0न0वि0प्रा0)

(डा0 आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।

संख्या– 416 /उडा–24(2)/बोर्ड बैठक/2014, दिनांकः 11 .12.2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, आवास/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
2. निजी सचिव, सचिव आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, अपर सचिव आवास, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर मुख्य प्रशासक, उडा।
5. बैठक में उपस्थित सभी अधिकारीगण।
6. गार्ड फाइल।

(बंशीधर तिवारी)
संयुक्त मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।